न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 8/17 2017/00477

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

1. नंदलाल पुत्र रामरत्न जाति धाकड निवासी ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामरत्न उर्फ रतनलाल पुत्र नेनगीलाल जाति धाकड
2. सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति धाकड
3. दिलीपकुमाार पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडलीकन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार कनवास।

– अप्रार्थीगण–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

अप्रार्थी 01 लगायत 03 की ओर से – एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा

राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

निर्णय

दिनांक– 24.02.2021

प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि कृषि माल ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हल्का देवली तहसील कनवास के खसरा नबंर 4 की रकबा 2.50 है0, खसरा नबंर 05 की रकबा 0.49 है, खसरा नबंर 137/352 की रकबा 0.12 है0, खसरा नबंर 138/353 की रकबा 0.60 है0, इस प्रकार कुल किता 04 की कुल रकबा 3.71 है0, कृषि भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि के समीप ही अप्रार्थी संख्या 03 के खाते एवं कब्जे की खसरा नबंर 19 की 1.55 है0, तथा अप्रार्थी क्रम संख्या 01 के खाते एवं कब्जे की खसरा नबंर 06 की 1.34 है0, कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खसरा नबंर 04 की रकबा 2.50 है0, व खसरा नबंर 05 की 0.49 है0, कृषि भूमि में पहुंच का एक मात्र परम्परागत रास्ता खसरा नबंर 19 व खसरा नबंर 06 के मध्य स्थित मेड पर होकर उत्तर दक्षिण लम्बाई में रहा है, जो लगभग 10 फीट चौडाई में है, जिसमें से होकर प्रार्थी ... से शांति पूर्वक अपनी कृषि भूमि में आता जाता रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि पिछले वर्ष माह जुलाई 2016 में अप्रार्थी संख्या 01 ने उसके खाते में दर्ज खसरा नबंर 06 की कृषि भूमि में पूर्वी तरफ स्थित मेड पर पत्थर चुनकर प्रार्थी के रास्ते को बंद कर दिया, तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भी प्रार्थी को उनके खेत खसरा नबंर 19 की कृषि भूमि में पश्चिमी तरफ होकर निकलने पर विवाद किया। जिसकी वजह से प्रार्थी को उसके खाते की खसरा नबंर 04 व खसरा नबंर 05 की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा आने लगी है, तथा उक्त रास्ता बाधित होने की स्थिति में है, प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

यह कि प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार उक्त 10 फुट चौडे रास्ते मे आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर हैं। किन्तु अप्रार्थीगण फिर भी उक्त रास्ते को बहाल करने को तैयार नहीं है, तथा लगातार बाधित करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण को अपने कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि का भली प्रकार उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा, जिससे प्रार्थी को अमरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति प्रार्थी भविष्य में भी नहीं कर पायेगा।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेडल कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान में स्थित प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा नबंर 04 की रकबा 2.50 है0, खसरा नबंर 05 की रकबा 0.49 है0, कृषि भूमि तक पहुंचने के लिये ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 06 की रकबा 1.34 है0, व खसरा नबंर 19 की 1.55 है0, कृषि भूमि के मध्य स्थित उत्तर दक्षिण लम्बाई में 10 फुट चौडी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे, तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो विधि अनुरूप बनती है, को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से एडवोकेट बद्रीलाल मेरोठा ने वकालतनामा प्रस्तत किया गया। साथ ही अप्रार्थी नबंर 04 की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी नबंर 01 लगायत 03 व प्रार्थी दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति व लोकअदालत की भावना से दिनांक 24.02.2021 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 01 रामरत्न प्रार्थी नंदलाल को उसके खाते में दर्ज ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 06 की 1.34 है0, में से 0.01 है0, पूर्व तरफ की भूमि को रास्ता देने के लिये सहमत है। इसी प्रकार अप्रार्थी नबंर 03 दिलीप कुमार ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित उसके खाते की खसरा नबंर 19 की रकबा 1.55 है0, में से पश्चिमी तरफ की 0.01 है0, भूमि को रास्ते के लिये देने के लिये सहमत है। इस प्रकार उक्त खसरा नबंर 06 व खसरा नबंर 19 के मध्य 10 फीट चौडाई (3.04 मीटर) तथा 262.46 फीट (80 ... कुल क्षेत्रफल 243.84 मीटर भूमि में होकर प्रार्थी के खेत ग्राम खेडली ... 04 की रकबा 2.50 है0, व खसरा नबंर 05 की रकबा 0.49 है0, कृषि भूमि ... पहुंचने के लिये रास्ते के लिये काम आयेगी। इसी रास्ते की भूमि की एवं में प्रार्थी ... अप्रार्थी नबंर 01 व 03 को कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Page no 2

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1,25,000/– रूपये अदा कर दिये हैं, पक्षकारान उक्त कुल 0.02 है0,, भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने के लिये सहमत हैं।
राजीनामा दोनों पक्षकारों को पढकर सुनाया गया, दोनों पक्षकारों ने मेरे समक्ष राजीनामा सुना एवं राजीनामें में अंकित तथ्यों को सही व राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने में अपनी सहमति प्रकट की गई।

हमारे द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का गहनता पूर्वक अवलोकन किया जिससे हम प्रार्थी व अप्रार्थी नबंर 01 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी क्रम 01 रामरत्न प्रार्थी नंदलाल को उसके खाते में दर्ज ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 06 की 1.34 है0, में से 0.01 है0, पूर्व तरफ की भूमि को रास्ता देने के लिये सहमत है। इसी प्रकार अप्रार्थी नबंर 03 दिलीप कुमार ग्राम खेडली कन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित उसके खाते की खसरा नबंर 19 की रकबा 1.55 है0, में से पश्चिमी तरफ की 0.01 है0, भूमि को रास्ते के लिये देने के लिये सहमत है। इस प्रकार उक्त खसरा नबंर 06 व खसरा नबंर 19 के मध्य 10 फीट चौडाई (3.04 मीटर) तथा 262.46 फीट (80 मीटर) कुल क्षेत्रफल 243.84 मीटर भूमि में होकर प्रार्थी के खेत ग्राम खेडली कन्दाफल स्थित खसरा नबंर 04 की रकबा 2.50 है0, व खसरा नबंर 05 की रकबा 0.49 है0, कृषि भूमि तक पहुचने के लिये रास्ते के लिये काम आयेगी तथा चूंकि इस रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी नबंर 01 रामरतन व अप्रार्थी नबंर 03 दिलीपकुमार ने 1,25,000/– रूपये प्रार्थी नंदलाल से प्राप्त करना राजीनामे में स्वीकार किया है। मुताबिक राजीनामा अनुसार अब रास्ते की भूमि (खसरा नबंर 6 की रकबा 1.34 है0, में से 0.01 है0, पूर्वी तरफ व खसरा नबंर 19 की 1.55 में से पश्चिमी तरफ की 0.01 है0,) पर अप्रार्थी नबंर 01 रामरतन व अप्रार्थी नबंर 03 दिलीप कुमार का कोई हक एवं अधिकार नहीं रहेगा प्रतिवादी नबंर01 व 03 द्वारा प्रार्थीगण को रास्ते के लिये दी गई उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रार्थीगण के खाते में किस्म गै0मु0 रास्ते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

Page no 3